भारत सरकार

मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2920

18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

महिला मत्स्यपालक

2920. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंजीकृत और गैर पंजीकृत मत्स्यपालकों और महिला मत्स्यपालकों की संख्या कितनी है;

(ख) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिला मत्स्यपालकों के लिए कोई विशिष्ट निधि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मत्स्यपालन विभाग के परामर्श से संकलित डेटाबेस के अनुसार, देश में कुल 2,80,63,538 मछुआरे, मत्स्य किसान और अन्य हितधारक मत्स्यपालन क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिनमें 1,23,97,908 महिलाएँ हैं। इसके अलावा, मत्स्यपालन क्षेत्र में मछुआरों और अन्य हितधारकों को कार्य आधारित डिजिटल पहचान प्रदान करके मत्स्यपालन क्षेत्र को व्यवस्थित रूप देने के लिए, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की उप-योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के तहत नेशनल फिशरीस डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) शुरू किया गया है। अब तक 20,35,969 मत्स्य किसान और संगठन एनएफडीपी में पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 7,22,131 महिलाएं हैं।

(ख) से (घ): भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग की प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 57,430 महिला लाभार्थियों के लिए 1171.38 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ 3049.92 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 8,438 महिला लाभार्थियों के लिए 244.52 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ 647.44 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई । महिला लाभार्थी मत्स्य पालन गतिविधियों जैसे जलाशय केज, मीठे पानी में मत्स्यपालन, बायोफ्लोक तालाब और आरएएस, फीड मिलों की स्थापना आदि में कार्यरत हैं । 50 **%** महिला लाभार्थी कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों से हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए महिला लाभार्थियों का राज्यवार विवरण अनुबंध -I में दिया गया है। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई योजना को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 5 साल की अवधि के लिए लागू किया गया है और मत्स्य उत्पादन गतिविधि में लगे हितधारकों के साथ-साथ पात्रता वाले सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला मछुआरों के लिए धनराशि निर्धारित की गई है।

*****

अनुबंध - I

18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए डॉ. गुम्मा तनुजा रानी, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2920 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएमएमएसवाई के तहत महिला लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला लाभार्थी 2021-22
अंडमान और निकोबार	337
असम	337
बिहार	1274
छत्तीसगढ	165
दिल्ली	3
गोवा	49
गुजरात	59
हरयाणा	95
झारखंड	373
कर्नाटक	2155
केरल	354
मध्य प्रदेश	789
महाराष्ट्र	703
मणिपुर	71
ओडिशा	963
तमिलनाडु	186
तेलंगाना	125
त्रिपुरा	115
उत्तर प्रदेश	237
उत्तराखंड	48
कुल	8438